न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 195/2016

हरचन्द पुत्र खिराजराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र काशीराम जाति छींपा निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर । ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर

दिनांक 07.11.2016

उपस्थितः—

श्री मोहनलाल पूनिया अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राजवीरसिंह अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/प्रार्थी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा. का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह चक 12 एस.डी.पी. के खाता संख्या 83/64 प.नं. 14/173 मु.न. 14 कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 के चिपते हुए कुल 5 बीघा आराजी पर जबरन कब्जा काश्त करने एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी में दखल अंदाज करने से बाज व ममनू रहे। अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कथन किया कि अप्रार्थी अभिलिखित खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई

23/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 07.11.2016 को प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का हर प्रकार से मामला बनता था। रेस्पों. जबरदस्ती अपीलांट की भूमि में प्रवेश करना चाहता है जिस पर अपीलांट ने अधी.न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थना पर स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. अभिलिखित खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 07.11.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 खारिज किया गया है परन्तु रेस्पो. अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने के फिराक में है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट इस भय से भयभीत है कि रेस्पो. उसकी खातेदारी भूमि पर कब्जा कर लेगा, बाबत अधी. न्यायालय का निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कारक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा

23/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

का सन्तुलन व अपूरर्णीय क्षति विवेचित कर दिया गया है। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर